न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2019/00291 (2019/145) दायरा दिनांक : 01.11.2019

उनवान

1. बजरंग लाल पुत्र मांगीलाल
2. कालूलाल पुत्र मांगीलाल
   जाति कण्डारा, निवासीगण ग्राम सकरावदा, तहसील किशनगंज, जिला बारां राज0
   .... अपीलांट

बनाम

1. प्रेमशंकर पुत्र एवं वारिस मांगीबाई, जाति कण्डारा, निवासी सकरावदा हाल निवासी खेडली फाटक हनुमान जी के मन्दिर के पास कोटा मृतक कायम मुकामान :–
   1/1. नन्द कुमार आत्मज प्रेम शंकर, जाति कण्डारा
   1/2. शकुन्तला बाई पुत्री प्रेम शंकर पत्नी गणेश, जाति कण्डारा, निवासीगण खेडली फाटक, कोटा
   1/3. राजेश पुत्र प्रेमशंकर, जाति कण्डारा मृतक कायम मुकामान का स्वर्गवास रेस्पोडेंट नम्बर 1 प्रेम शंकर, जाति कण्डारा के जीवनकाल में ही, हो गया था जिसके कायम मुकामान :–
   1/3/1. संतोष पत्नी स्वर्गीय राजेश कुमार, जाति कण्डारा
   1/3/2. करिश्मा कुमारी, आयु 26 वर्ष पुत्री स्वर्गीय राजेश कुमार, जाति कण्डारा
   1/3/3. हेमन्त, आयु 24 वर्ष पुत्र स्वर्गीय राजेश कुमार, जाति कण्डारा
   1/3/4. ऊषा आयु 22 वर्ष पुत्री स्वर्गीय राजेश कुमार, जाति कण्डारा
   1/3/5. सुरेन्द्र कुमार, आयु 20 वर्ष पुत्र स्वर्गीय राजेश कुमार, जाति कण्डारा निवासीगण ग्राम सकरावदा हाल निवासी खेडली फाटक हनुमान जी के मन्दिर के पास, कोटा
   1/3/6. सवन्ती विधवा पत्नी प्रेमशंकर कण्डारा, निवासी खेडली फाटक, कोटा
2. हरीश चन्द पुत्र एवं वारिस मांगी बाई, जाति कण्डारा, निवासी ग्राम सकरावदा हाल निवासी खेडली फाटक, गणेश चौक मकान नम्बर 52, कोटा
3. पार्वती बाई पुत्री एवं वारिस मांगी बाई पत्नी हजारी लाल, जाति कण्डारा, निवासी वार्ड नम्बर 4 चन्द्रशेखर कॉलोनी छबडा, जिला बारां
4. कलावती पुत्री एवं वारिस मांगीबाई पत्नी देवकरण, जाति कण्डारा, निवासी अहमदाबाद गुजरात
5. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, किशनगंज, जिला बारां .... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री बाबू लाल जैन अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री ओ. पी. मेहता अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 2 व 4 की ओर से,
शेष रेस्पोडेंटगण अनुपस्थित।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

निर्णय **दिनांक : 30.05.2025**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगंज के प्रकरण संख्या – 18/2014 निर्णय व डिक्री दिनांक 20.09.2019 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण रेस्पोडेंटगण ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 91, 92ए, 183, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम सकरावदा, पटवार हल्का सकरावदा जमाबंदी सम्मत 2067–2070 जमाबंदी संख्या नया 69 पुराना 1 की आराजी खसरा नम्बर 167 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 186 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 187 रकबा 6 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 217 रकबा 9 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 356 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 360 रकबा 3 बीघा 6 बिस्वा कुल किता 6 कुल रकबा 25 बीघा आराजियात स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगंज ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 20.09.2019 से वाद वादी डिक्री किया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि निर्णय एवं डिक्री योग्य अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड एवं साक्ष्य के आधार पर सिद्धी प्राप्त तथ्यों एवं टीनेन्सी एक्ट के प्रावधानों के सर्वथा विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने दावा धारा 88, 89, 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बहक वादीगण/रेस्पोंडेन्ट आंशिक रूप से स्वीकार कर उनका वादग्रस्त भूमि पर स्वर्गीय खातेदार भैरूलाल की मृत्यु के बाद से गत 50 वर्षों में कभी किसी प्रकार का संबंध न होते हुए भी वादीगण को बिना किसी साक्ष्य स्वर्गीय भैरूलाल की स्वर्गीय पुत्री मांगीबाई के वारिस पुत्रान एवं पुत्रियां होना मानकर अपीलांट के पक्ष में क्षेत्रीय पंचायत द्वारा दिनांक 08.06.1984 को तस्दीक किये गये इन्तकाल नम्बर 148 को निरस्त करने की आज्ञा देने में गम्भीर त्रुटि की है, जबकि अपीलांट द्वारा उक्त इन्तकाल आदेश को अवधि मध्य कभी किसी न्यायालय में चेलेन्ज नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त वाद पत्र में बनाये हुए सभी वाद बिन्दुओं को पत्रावली पर प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर निर्णीत न कर सभी तनकीयात को बिना किसी न्यायोचित कारण अपीलांट प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णीत कर उक्त वाद को डिक्री कर दिया गया है, जो न्याय के सर्वमान्य सिद्धान्तों के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है।

स्वर्गीय खातेदार भैरूलाल की इकलौती पुत्री मांगीबाई पत्नी सूरजमल रही है, जिसकी भैरूलाल के जीवनकाल में ही इन्तकाल नम्बर 148 पर दिनांक 06.08.1984 को तत्कालीन हल्का पटवारी द्वारा अंकित वंशावली के मुताबिक लाऔलाद फौत हो जाने पर पंचायत सकरावदा के प्रस्ताव दिनांक 25.03.1983 के मुताबिक वादग्रस्त भूमि

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

भैरूलाल को गोद पुत्र मांगीलाल के वारिस पुत्रान् अपीलांट बजरंगलाल, कालूलाल तथा मांगीलाल की विधवा पत्नी केशरबाई के खाते दर्ज की गई है तथा विधवा केशरबाई की मृत्यु हो जाने पर जर्ये इन्तकाल नम्बर 566 दिनांक 23.12.2010 को केशरबाई का नाम हटाया गया है, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इन्तकाल नम्बर 148 की प्रविष्टियों पर कोई ध्यान न देकर पी.डब्ल्यू. 1 प्रेमशंकर द्वारा उसके शपथ पूर्ण बयान में उसके पिता का नाम बजरंगलाल होना बताने के बाद भी वादीगण नम्बर 1 ता 4 को उनके पिता बजरंगलाल के स्थान पर मांगीबाई के पति सूरजमल के वारिस होना मानकर इन्तकाल नम्बर 148 निरस्त करने की आज्ञा दे दी गई है, जबकि रेस्पोन्डेन्ट वादीगण नम्बर 1 ता 4 द्वारा मूल वाद–पत्र में भी अपने वास्तविक पिता बजरंगलाल का नाम छुपाकर बिना किसी प्रमाण चारों वादीगण को स्वर्गीय मांगीबाई का वारिस होना मानकर अपीलाधीन आज्ञा पारित कर दी गई है, जो सर्वथा अवैध होने से निरस्त होने योग्य है। अपीलांट प्रतिवादीगण की ओर से उक्त वाद–पत्र में दिनांक 22.08.2019 को प्रस्तुत संशोधित प्लीडिंग्स प्रतिवादीगण तथा साक्ष्य प्रतिवादी में डी.डब्ल्यू.–1 कालूलाल द्वारा दिये गये शपथ पूर्ण बयान सहित उसकी ओर से प्रस्तुत की गई लिखित बहस पर भी कोई ध्यान न देकर वाद बिन्दु नम्बर 1 व 2 के समर्थन मे वादीगण रेस्पोडेंट की ओर से कोई शहादत प्रस्तुत न होते हुए भी उक्त दोनों वाद बिन्दुओं को पूर्णतः गलत रूप से बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण निर्णीत कर दिया है, जबकि रेस्पोडेंट नम्बर–1 प्रेमशंकर वादी से हुई जिरह के बयानों के मुताबिक वह मांगीबाई के पति सूरजमल का पुत्र न होकर पिता बजरंगलाल का पुत्र है तथा भैरूलाल की मृत्यु 55–56 वर्ष पूर्व होने पर प्रतिवादीगण अपीलांट के पिता मांगीलाल (गोद पुत्र भैरूलाल) द्वारा ही अंतिम क्रियाकर्म किया गया है तथा भैरूलाल के जीवित रहने के समय में भी वादीगण द्वारा कभी भी वादग्रस्त भूमि को काश्त करने बाबत कभी कोई क्लेम भी नहीं दिया गया है और न उक्त भूमि को कभी पांति या मुनाफे पर काश्त ही कराया गया है। वादीगण में से कोई भी ग्राम सकरावदा का निवासी नहीं रहा है और न ग्राम सकरावदा निवासी कोई मूल निवासी गवाह वादीगण के पक्ष में ही प्रस्तुत हुआ है। शहादत वादीगण में पी. डब्ल्यू.–2 पार्वतीबाई छबड़ा की निवासी है तथा पी.डब्ल्यू.–3 कमलाबाई ग्राम सकरावदा निवासी छीतर की पुत्रवधू है, जिनके बयान से वादीगण को किसी भी वाद बिन्दु साबित करने में मदद नहीं मिलती है। इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट की ओर से प्रत्येक वाद बिन्दु के संबंध में प्रस्तुत की गई लिखित बहस व कानूनी रूलिंग्स पर भी कोई ध्यान न देकर सभी वाद बिन्दु आर्बिटटेरी रूप से वादीगण के पक्ष में निर्णीत कर दिये हैं जो सर्वथा अवैध एवं त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त होने योग्य है।

कोटा रियासत में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 लागू होने से पूर्व से पूर्व सरक्यूलर नम्बर–3 लागू था जिसके मुताबिक पुरूष खातेदार की मौत होने पर केवल बेटी जो शामिल रहती हो तथा बेटी के बेटा जो शामिल रहते हो–को ही उत्तराधिकार

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

हक प्राप्त होने का प्रावधान लागू था, ऐसी सूरत में स्वर्गीय खातेदार भैरूलाल के जीवनकाल में ही उसकी पुत्री मांगीबाई की लाऔलाद मृत्यु हो जाने पर भैरूलाल के गोद पुत्र मांगीलाल को तथा मांगीलाल की मृत्यु हो जाने पर उसकी बेवा केशरबाई तथा दोनों पुत्रान बजरंगलाल व कालूलाल अपीलांट को ही उत्तराधिकार हक प्राप्त था। इसी आधार पर ग्राम पंचायत सकरावदा द्वारा इन्तकाल नम्बर 148 ग्राम पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव दिनांक 25.03.1983 को भी आधार मानकर दिनांक 08.06.1984 को ग्राम सकरावदा जिला कोटा में स्थित होने से पूर्णतः वैध रूप से तस्दीक किया गया है, जिसे 35 वर्षों के बाद बिना किसी कानूनी आधार के निरस्त किया जाना सर्वथा अवैध एवं त्रुटि पूर्ण है।

हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम लागू होने से पूर्व पुराने हिन्दू कानून के मुताबिक भी संयुक्त परिवार की सम्पति में महिलाओं को कोई उत्तराधिकार हक प्राप्त नहीं था। उक्त आधार पर भैरूलाल की इकलौती पुत्री मांगीबाई की उसके जीवनकाल में ही लाऔलाद मृत्यु हो जाने के बाद केवल स्वर्गीय भैरूलाल खातेदार के गोद पुत्र मांगीलाल को ही पंचायत प्रस्ताव दिनांक 25.03.1983 के मुताबिक उत्तराधिकार हक प्राप्त था तथा मांगीलाल की मृत्यु हो जाने पर इन्तकाल नम्बर 148 से उसके स्थान पर अपीलांट व बेवा केशरबाई को खातेदार दर्ज किया जाना पूर्णतः विधि सम्मत था। उक्त आधार पर इन्तकाल नम्बर 148 पूर्णतः वैध होते हुए भी तथा वादग्रस्त भूमि से रेस्पोडेंट वादीगण नम्बर 1 ता 4 का कभी किसी प्रकार का कोई संबंध न होते हुए भी वादीगण को वादग्रस्त भूमि का खातेदार घोषित करते हुए इन्तकाल नम्बर 148 को निरस्त करने की आज्ञा दिया जाना सर्वथा त्रुटि पूर्ण एवं अवैध है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में सम्पूर्ण वाद पत्र, प्रतिवाद पत्र तथा तनकीयात की हुबहू नकल कर उक्त प्लीडिग्स के आधार पर बनायी गई तनकीयात नम्बर 1 ता 7 पर भी पत्रावली पर प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर कोई तार्किक विवेचन न कर पूर्णतः आर्बिटटेरी राय से दावा बहक वादीगण डिक्री कर इन्तकाल नम्बर 148 दिनांक 08.06.1984 कब्जे के बिना ही वादग्रस्त भूमि पर खातेदार घोषित करने की आज्ञा पारित कर दी है, ऐसी सूरत में वादग्रस्त भूमि पर अपीलांट प्रतिवादीगण का कब्जा बदस्तूर कायम रखते हुए केवल राजस्व रेकार्ड से उनका नाम हटाकर बिना किसी आधार के वादीगण को खातेदार घोषित किया जाना सर्वथा अवैध है। अतः प्रार्थना है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20.09.2019 अधीनस्थ न्यायालय निरस्त कर दावा वादीगण/रेस्पोडेन्टान सव्यय खारिज करने की आज्ञा फरमाई जावे।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील के साथ आदेश 41 नियम 27 व्यवहार प्रकिया संहिता का प्रार्थना पत्र पेश किया, पेश किये गये दस्तावेज राजकीय दस्तावेज होने के कारण रेकार्ड पर लिये जाने का निवेदन किया।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील मेमो में अंकित तथ्यों को दोहराया। बहस के दौरान कथन किया कि प्रतिवादी अपीलांट ने 20.09.2021 के निर्णय के विरूद्ध यह अपील पेश की है। रेस्पोडेंट नं. 1 लगायत 4 ने अपने पिता बजरंगलाल का नाम छुपाकर दावा पेश किया। नामान्तरकरण संख्या 148 दिनांक 06.08.1984 को तस्दीक हुआ जिसमें जो आराजी हमारे नाम दर्ज हुई उसे निरस्त करने हेतु दावा किया था जो आंशिक रूप से स्वीकार किया गया। वादग्रस्त आराजी के हम खातेदार घोषित होने व वादग्रस्त आराजी में हमारा नाम दर्ज होने के 50 वर्ष बाद दावा दर्ज किया जो गलत है। अधीनस्थ न्यायालय ने ना तो प्रकरण में तनकी कायम की और ना ही प्रकरण का तनकीवार निर्णय पारित किया। पी.डब्ल्यू. 1 प्रेमशंकर ने अपने पिता का नाम बजरंगलाल बताया। अतः निर्णय खारिज होने योग्य है। हमने अधीनस्थ न्यायालय में लिखित बहस पेश की थी जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने कोई ध्यान नहीं दिया तथा प्रतिवादी ने साक्ष्य पेश नहीं की फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने दावा डिक्री कर दिया। अतः अपील स्वीकार की जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त किया जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपने पक्ष के समर्थन में आर.आर.डी. 1993 पेज 393, ए.आई.आर. 2003 सुप्रीम कोर्ट पेज 2073, आर.आर.डी 1989 पेज 564, 2023 (1) आर.आर.टी. पेज 602, आर.आर.डी. 14.01.2011 पेज 47, 2019 (1) आर.आर.टी. पेज 14, 2020 (4) डी.एन.जे. (राज0) पेज 1008, 2018 (2) डी.एन.जे. (राज0) पेज 449, 2022 (2) आर.आर.टी. पेज 1370, 2018 (1) सी.डी.आर. पेज 418 (राज0) की नजीरे उद्धरत की।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस कथन किया कि आर्डर 41 नियम 27 में जो दस्तावेज पेश करना चाहते हैं वह दावा संख्या 09/2009 विड्रो हुआ उसके संदर्भ में आर्डर 7 नियम 11 का प्रार्थना पत्र पेश किया था अर्थात उसी दिन इनके ध्यान में था यह दस्तावेज जो पेश नहीं किया अब उसे पेश नहीं कर सकते। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में प्रार्थना पत्र के साथ ही सलंग्न था। प्रार्थना पत्र आर्डर 7 नियम 11 खारिज हुआ। उसकी रिवीजन में जाना चाहिए था। अब आर्डर 41 नियम 27 में प्रार्थना पत्र पेश करना विधि सम्मत नहीं है। सभी तथ्य पूर्व से ही जानकारी में थे। अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र धारा 55, 151 सी.पी.सी. धारा 10 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र पेश हुआ था उसमें भी पूर्व दावे के दस्तावेज का उल्लेख किया, यह प्रार्थना पत्र भी खारिज हुआ इसके भी रिवीजन में नहीं गये। दिनांक 04.04.2009 को प्रार्थना

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पत्र आदेश 07.03.2019 को रिव्यु प्रार्थना पत्र खारिज हआ। दिनांक 01.08.2019 आदेश 8 नियम 8, 9 भी खारिज हुआ। दिनांक 22.08.2019 को आर्डर 6, नियम 17, आर्डर 8, नियम 9, आर्डर 8 नियम 8 ए सभी फैसल हुए, इस कारण से प्रार्थना पत्र आर्डर 41 नियम 27 मेन्टेनेबल नहीं है। नामान्तरकरण ग्राम पंचायत में खुला जिसमें वारिसान होने का कोई दस्तावेज नहीं है मृतक की वारिस मांगीबाई मौजूद थी, यह तथ्य छुपाकर यह नामान्तरकरण दर्ज करवाया था। घोषणा के दावे की कोई लिमिटेशन नहीं होती है। अधीनस्थ न्यायालय में केवल एक बयान कालूलाल के करवाये गये जिसने भी मांगीबाई पुत्री होना स्वीकार किया है। इस प्रकार ग्राम पंचायत ने नामान्तरकरण गलत खोला है। अधीनस्थ न्यायालय में तनकी नं. 4 आर्डर 41 नियम 27 में पेश दस्तावेज के सन्दर्भ में ही थी परन्तु उनके द्वारा प्रमाणित प्रति पेश नहीं करने के कारण अधीनस्थ न्यायालय ने प्रदर्श नहीं हुआ। पूर्व के दावे में भी पक्षकार थे जिसमें इन्होंने विड्रो करते समय कोई आपत्ति नहीं की, ना ही काउंटर क्लेम पेश किया। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय सही है। अपील खारिज की जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील के साथ आदेश 41 नियम 27 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के दस्तावेज की प्रमाणित प्रति पेश की है। पेश किये गये दस्तावेज राजस्व रेकार्ड की प्रमाणित प्रति है। अतः न्याय हित में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता

हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत अपील के विवादित तथ्यों का गहनता से अवलोकन किया।

अधीनस्थ न्यायालय में वादी रेस्पोडेंट कम 1 लगायत 4 द्वारा अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 92ए, 183 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय का पेश किया कि ग्राम सकरावदा तहसील किशनगंज की जमाबंदी संख्या 69 पुराना 61 की आराजी कुल किता 6 रकबा 25 बीघा स्थित है। जिसे वाद पत्र में विवादित आराजियात के नाम से संबोधित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 20.09.2019 से ग्राम सकरावदा की आराजियात किता 6 रकबा 25 बीघा पर खोला गया इंतकाल संख्या 148 दिनांक 08.06.1984 निरस्त किया जाकर वादीगण को खातेदार घोषित किया जाकर निर्णयानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन के आदेश तहसीलदार किशनंगज को दिये गये।

अधीनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20.09.2019 से अप्रसन्न होकर अपीलांट/प्रतिवादी द्वारा इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20.09.2019 खारिज किया जावे।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में सलंग्न प्रदर्श पी–9 जमाबंदी संवत 2034 से 37 में खाता संख्या 58 किता 6 रकबा 25 बीघा भूमि भैरूलाल वल्द हरलाल कौम कण्डारा सा. देह के नाम दर्ज रेकार्ड है।

प्रदर्श पी–2 में नामा.संख्या 148 दिनांक 08.06.1984 से मृतक भैरूलाल का फौती नामांतकरण ग्राम पंचायत द्वारा बजंरगलाल, कालूलाल पुत्रान मांगीलाल व केसर बाई बेवा मांगीलाल के नाम निर्णित किया गया है।

प्रदर्श पी 5 जमाबंदी संवत 2051–54 खाता संख्या 61 में किता 6 रकबा 25 बीघा नामांतकरण संख्या 148 से खातेदार बजरंगलाल, कालूलाल पुत्र मांगीलाल, केसरबाई बेवा मांगीलाल जाति कण्डारा सा0 देह हिस्सा बराबर दर्ज रेकार्ड है।

प्रदर्श पी 1 जमाबंदी संवत 2067–70 खाता संख्या 69 में किता 6 रकबा 25 बीघा में बजंरगलाल, कालूलाल पुत्र मांगीलाल, जाति कण्डारा का नाम दर्ज है। (नामांतरकरण संख्या 566 दिनांक 23.12.2010 से मृतक केसर बाई का नाम विलोपित किया गया)

अपील के साथ सलंग्न दस्तावेज आधार कार्ड में प्रेमशंकर पुत्र सूरजमल, जन्म वर्ष 1948, निवासी खेडली फाटक, कोटा, राज0 अंकित है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय में वादी प्रेमशंकर ने अपने बयान शपथ पत्र में पिता का नाम बजरंगलाल अंकित किया है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में मांगीबाई के वारिसों के द्वारा सक्षम प्राधिकारी से प्रदत वारिस प्रमाण पत्र सलंग्न नहीं है जिससे यह साबित नहीं होता कि प्रतिवादीगण मांगीबाई पत्नी सूरजमल के वारिस है। चूंकि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील मेमो के पैरा नं. 4 में इस बिन्दु का आक्षेप लगाया गया है कि प्रतिवादीगण के द्वारा वास्तविक पिता बजरंगलाल का नाम छुपा कर बिना किसी प्रमाण के चारों वादीगणों को स्व.मांगीबाई का वारिस होना मानकर निर्णय पारित किया गया है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि नामांतरण संख्या 148 की परत में मांगीबाई के कोई औलाद नहीं होने का अंकन है जिस कारण भी वारिसान की स्थिति संदेहास्पद है, ऐसी स्थिति में सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त वारिस प्रमाण आवश्यक है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में बनायी गयी तनकीयात का साक्ष्य एवं दस्तावेज के आधार पर विधिवत विश्लेषण करते हुए कोई निष्कर्ष अंकित नहीं किया है, ना ही अधीनस्थ न्यायालय ने तनकीयात को वादी एवं प्रतिवादी के पक्ष व विपक्ष में निर्णित करने के कारणों का अंकन किया है जबकि सी.पी.सी. के प्रावधानों के अनुसार तनकीयात कायम करने के उपरान्त प्रत्येक तनकी का विश्लेषण करते हुए तनकीवार

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

निर्णय पारित किया जाना आवश्यक होता है । इन तथ्यों के आधार पर भी अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण है।

अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत जवाब दावे के मद नं. 3 में मांगीबाई को पुत्री माना है प्रतिवादी के काउण्टर क्लेम के मद नं. 1 में एडवर्स पजेशन के आधार पर काबिज होना तथा साथ ही जवाब उल जवाब में वसीयत को आधार बताया है ऐसी स्थिति में एक साथ दोनों तर्क नहीं चल सकते है।

अतः संदर्भित प्रकरण में उक्त सभी बिन्दुओं की विस्तृत जांच अधीनस्थ न्यायालय के स्तर पर होना आवश्यक होने से हम प्रकरण को मांगीबाई के वारिसान की जांच हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित करना उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 20.09.2019 खारिज की जाती है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि मांगीबाई के वारिसान की जांच कर प्रकरण में पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 21.07.2025 को उपस्थित होवे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

30/05/2025

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा